राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 295/2024

पारस राम —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर (भू अभिलेख), जोधपुर।
4. तहसीलदार (भू–अभिलेख), भोपालगढ, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2024
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री माधव राज चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने पर राजकीय सेवा से दि नांक 31.07.2023 को सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर तहसील कार्यालय भोपालगढ जोधपुर में पदस्थापित था, सेवानिवृत्ति आदेश अनुलग्नक–1 है। अपीलार्थी की सेवा निवृत्ति पर प्रति माह रुपए 67,000/– का मूल वेतन प्राप्त कर रहा था, जो उसके गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक 10.10.2023 से प्रमाणित है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2024 से भी यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा रुपए 67000/– का वेतन प्राप्त किया जाना है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पीपीओ नंबर 2911214269 एवं पेंशन आई डी संख्या 1643840 जारी किया गया (अनुलग्नक–4)। जिसमें अपीलार्थी का मूल वेतन रुपए 65000/– प्रति माह अंकित किया जाकर मूल पेंशन रुपए 32500/– नियत की गई। अपीलार्थी द्वारा जानकारी करने पर उसे अवगत कराया गया कि तकनिकी कारणों से यह त्रुटि हो गई जिसे सुधार दिया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा पेंशन विभाग जोधपुर से समय–समय पर सम्पर्क किये जाने पर एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और अपीलार्थी

सेवानिवृत्ति से कम पेंशन प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिंनाक 12.10.2023 (अनुलग्नक–5) पर उपलब्ध है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा नोटिस फॉर डिमाण्ड ऑफ जस्टिस दिंनाक 09.09.2024 को प्रेषित किया और अपीलार्थी की पेंशन कूलक में मूल वेतन रुपए 65000/– के स्थान पर रुपए 67000/– किये जाने और मूल पेंशन में संशोधित कर उसके अनुरूप भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया (अनुलग्नक–6)। इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जिसके आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जाकर अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी की पेंशन कुलक में मूल वेतन को संशोधित किया जाकर रुपए 65000 की बजाए रुपए 67000 प्रति माह किया जावे। साथ ही, अपीलार्थी का मूल पेंशन संशोधित कर उसे पेंशन की अंतर राशि का भुगतान 18 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पेशन प्रकरण का निस्तारण IFMS 3.0 पर दिनांक 02.08.2023 को आन–लाईन मूल वेतन रुपए 65000 से बढाकर रुपए 67000/– हो गये है (अनुलग्नक–आर/1)। अपीलार्थी इस संबंध में SSO ID से कार्यालयाध्यक्ष को निवेदन कर संशोधित पेंशन करा सकता है। अपीलार्थी का प्रकरण लम्बित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पेंशन कूलक में मूल वेतन संशोधित कर रुपए 67000/– किया जा चुका है और उस अनुरूप मूल वेतन पेंशन को संशोधित किया जा चुका है एवं भुगतान किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया, परन्तु उन्होंने निवेदन किया है कि पेंशन की अंतर राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके भुगतान हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा पेंशन की अंतर राशि के शीघ्र भुगतान किए जाने का अधिकरण को आश्वास्त किया गया।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी को पेंशन की अंतर राशि का भुगतान एक माह की अवधि में 9 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे और यदि अपीलार्थी की कोई अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ बकाया है तो उसका भुगतान भी एक माह की अवधि में किये जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः उक्त अपील इस प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य